# VISION IAS

www.visionias.in

## GENERAL STUDIES (TEST CODE : 2205)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Name of Candidate | ANKIT KUMAR JAIN | | |
| Medium Eng./Hindi | HINDI | Registration Number | 649298 |
| Center | JAIPUR | Date | 19-06-22 |

### INDEX TABLE

| Q. No. | Maximum Marks | Marks Obtained |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 10 | |
| 5 | 10 | |
| 6 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 8 | 10 | |
| 9 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 15 | |
| 12 | 15 | |
| 13 | 15 | |
| 14 | 15 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 15 | |
| 17 | 15 | |
| 18 | 15 | |
| 19 | 15 | |
| 20 | 15 | |

**Total Marks Obtained:**

**Remarks:**

## INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar Delhi- 110009

# EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

**Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:**

1.

2.

3.

4.

5.

6.

**All the Best**

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. What do you understand by 'constitutionalism'? Highlight various ways in which the Indian Constitution underscores this principle. **(150 words) 10**

'संविधानवाद' से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान में इस सिद्धांत को रेखांकित करने वाले विभिन्न उपबंधों पर प्रकाश डालिए।

संविधानवाद : वो उपबन्ध अथवा प्रावधान जो किसी सरकार के विवेकाधिकार को सीमित करती है, संविधानवाद है।

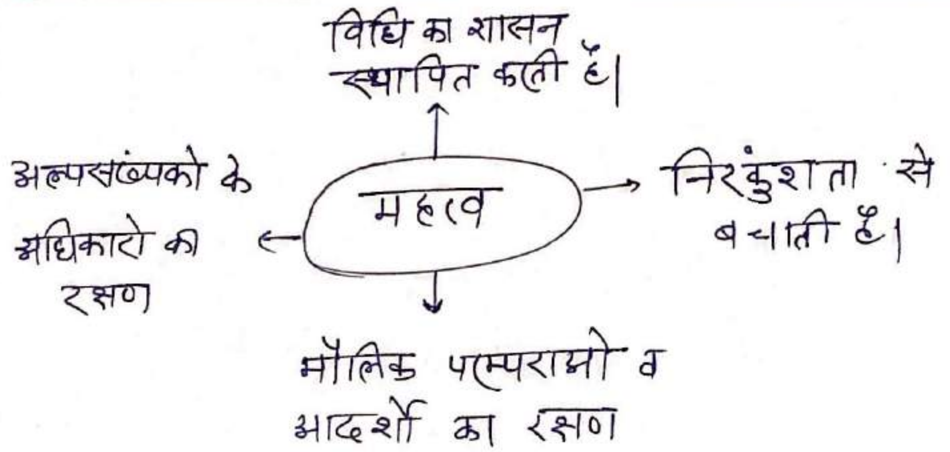


भारतीय संविधान मे संविधानवाद

(1.) अनुच्छेद -13 : मौलिक अधिकार (भाग 3) का उल्लंघन करने वाली विधियाँ शून्य।

(2). अनुच्छेद - 32 तथा अनुच्छेद - 226
उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

रिट जारी करने का अधिकार।
(रिट के प्रकार — बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश
— प्रतिषेध, उत्प्रेषण
- अधिकार पृच्छा )

3. अनुच्छेद - 31 — अल्प किसानो की सिंचित भूमि का अधिग्रहण से पूर्व मुआवजा
तथा अनुच्छेद - 30 - अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हेतु

4. अनुच्छेद - 265 — बिना विधि के प्रावधान के किसी प्रकार का कर नही लगा सकते।

5. समानता का अधिकार (अनुच्छेद -14 से अनुच्छेद-19)

6. स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद -19 से अनुच्छेद—22)

7. अनुच्छेद-20 ⇒ आपराधिक कानून का पूर्व तिथि से लागू नही होना।

8. -

8. अनुच्छेद - 324 तथा 325 → मतदाता के अधिकार

अत: भारतीय संविधान निर्माताओं ने पर्याप्त प्रावधान करके संविधानवाद के लक्षणो से तानाशाहमुक्त शासन -प्रशासन बनाया है। परन्तु आपातकालीन प्रावधान इसमे संदेह उत्पन्न करते हैं। 44 वे संविधान संशोधन तथा एस.आर. बोम्मई वाद मे उच्चतम न्यायालय ने पुन: सरकार की विवेकाधीन शक्तियो को कम कर संविधान के मौलिक आदर्शों को स्थापित किया

# VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. With adequate arguments and examples, elaborate your views on whether interest and pressure groups in India are undermining democracy or strengthening it. (150 words) 10

पर्याप्त तर्कों और उदाहरणों के साथ, सविस्तार अपने विचार व्यक्त कीजिए कि क्या भारत में हित समूह और दबाव समूह लोकतंत्र को दुर्बल कर रहे हैं या इसे सुदृढ़ कर रहे हैं।

हित समूह और दबाव समूह : किसी विशेष हित अथवा विषय ~~पर~~ समान मत रखने वाले लोगो का समूह। Eg :—

उदा. किसान – भारतीय किसान संघ
– शेतकारी संगठन

मजदूर – भारतीय मजदूर संघ
– ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस

व्यापारी – कन्फेडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्री
– एसोचेम – फिक्की

लोकतंत्र को दुर्बल कर रहे है

1. निजी हितो को राष्ट्रीय हितो से अधिक महत्व। उदा.– रिटेल क्षेत्र मे ~~कुछ~~ एफडीआई विवाद।

2. चुनावी हितो को प्रभावित करना।
उदा. – किसान बिल पर विवाद

③ अन्य कमजोर वर्गों के हितो की अनदेखी होना। – श्रमिक वर्गों की अनदेखी

④ प्रशासन के कार्यों मे हस्तक्षेप बढ़ना।

लोकतंत्र को मजबूत बनाते है

① विशेषज्ञ सेवाएँ प्रदान करके नीति निर्माण मे। उदा०- निर्यात नीति, श्रम नीति

② जन सहभागिता बढ़ाते है।
↳ सच्चे व व्यापक अर्थों मे लोकतंत्र का निर्माण।
उदा० – शिक्षा नीति पर सबसे बड़ा विमर्श होना।

③ प्रशासनिक ~~अनदेखियों~~ अनदेखीयों तथा गलत निर्णयो का पुन: सुधार करना।
उदा०- किसानो ~~बिल्लो~~ से जुड़े अधिनियमो का वापस लेना।

हालाँकि आजादी के बाद से ही दबाव समूहो ने भारत मे सरकारो को सहयोग किया है, परन्तु कई बार निजी हितो ने कई महत्वपूर्ण सुधारो को रोका है। अत: सरकार को व्यापक दृष्टिकोण तथा सर्वजन हिताय – सर्वजन सुखाय को ध्यान मे रखकर विशेषज्ञो से सलाह लेकर कार्य करना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

**3.** The Competition Commission of India (CCI) effectively reflects a shift from the era of Licence Raj to a conducive regulatory ambience for enhancing consumer welfare by encouraging competition in the market. Discuss.

**(150 words) 10**

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करके उपभोक्ता कल्याण को बढ़ाने के लिए लाइसेंस राज के युग से एक अनुकूल नियामकीय परिवेश में स्थानांतरण को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करता है। चर्चा कीजिए।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम 2002 से निर्मित सीसीआई ने एमआरटीपी अधिनियम का स्थान लिया।

प्रभाव

↳ ① एकाधिकार को रोकने के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।
↳ सकारात्मक दृष्टिकोण

② निजीकरण के अनुकूल माहौल विकसित करना।

③ निवेशकों के अनुकूल कम्पनी अधिनियमों का पालन सुनिश्चित करना।

④ भारतीय बाजारों में उपभोक्ता हितों तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के ~~कानून~~ अनुकूल कम्पनीयों को कार्य कराना।

⑤ प्रीडेटरी प्राइस, कार्टेलाइजेशन का नियंत्रण।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(5) कम्पनी के विलय, हिस्सेदारी के खरीद-बिक्री को विनियमित कर छोटे निवेशको की रक्षा करना।

हालांकि कई ऐसे उदाहरण है जहाँ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कार्य चुनौतीपूर्ण रहा है. जैसे —

1. भारत मे ऑनलाईन उपस्थिति रखने वाली कम्पनियो पर विनियमन
2. लॉटरी, जुआँ जैसी गतिविधियो का विनियमन
3. हच - वोडाफोन तथा एस्सार डील मे भारतीय हितो की अनदेखी।
4. रिलायंस फ्यूचर डील विवाद।

अत: ऐसे विवादो मे भारतीय उपभोक्ताओ के हितो कि रक्षा हेतु कई कदम उठाने चाहिए जैसे —

1. कम्पनियो के लिए एस.ओ.पी. का निर्माण
2. विधिक प्रावधानो को प्रभावी तथा व्यापक बनाना
3. कार्यक्षमता मे वृद्धि → विदेशी नियामक संस्थाओ से तालमेल बढ़ाना तथा प्रशिक्षण प्रदान करना।

सीसीआई जैसी संस्थाओ के शानदार कार्यो को और आगे बढ़ाते हुए निवेशको के अनुकूल माहौल को विकसित करना चाहिए ताकि आर्थिक वृद्धि और अधिक तेजी से हो सके।

2205

**VISION IAS™**

4. Mention various initiatives taken for online delivery of judicial services in India. Also, discuss the challenges faced in their implementation. **(150 words) 10**

भारत में न्यायिक सेवाओं की ऑनलाइन प्रदायगी के लिए प्रारंभ विभिन्न पहलों का उल्लेख कीजिए। साथ ही, उनके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

24 वीं ई-गवर्नेंस कार्यशाला मे घोषित हैदराबाद घोषणापत्र मे एक आयाम न्यायिक सेवाओ की ऑनलाईन से भी जुड़ा है

इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचूड की अध्यक्षता मे समिति ने भी इस सम्बन्ध मे कई अनुशंसाएं की है

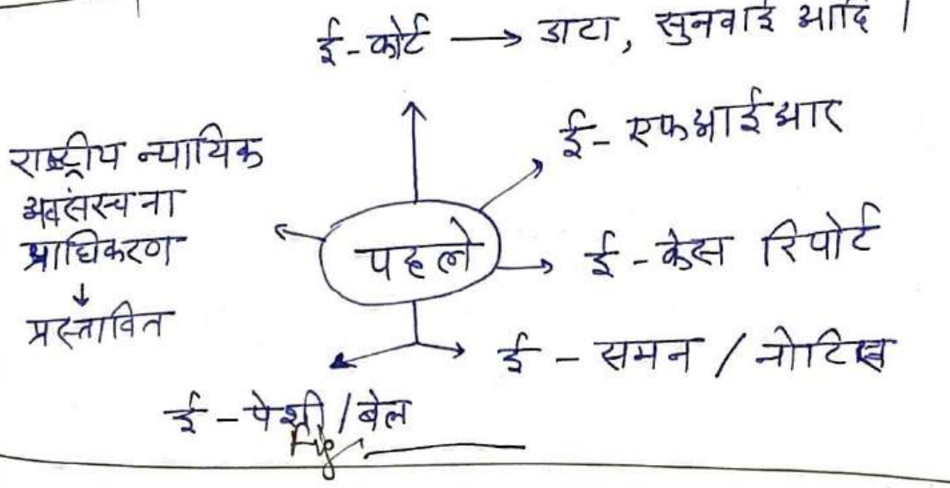


* दिल्ली उच्च न्यायालय → जीरो पेंडेंसी प्रोजेक्ट
* सभी न्यायालयो को उच्च गति की फाईबर केबल से जोड़ना ।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

चुनौतियाँ

① डिजीटल डिवाइड

② तकनीकी कौशल का अभाव
↳ न्यायाधीशो और अधिवक्ताओ मे।

③ तकनीकी अवसंरचनाओ की कमी।

④ भौगोलिक पहुँच की बाधा — उत्तर-पूर्वी भारत तथा पर्वतीय क्षेत्रो मे

⑤ मनोवृत्ति का अभाव

⑥ डाटा संरक्षण की विधिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौती।
↳ निजता का अधिकार (अनु-21; पुट्टास्वामी वाद)

आगे की राह

① तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना।
② अवसंरचना मे विस्तार → डिजिटल इण्डिया मिशन
→ नेशनल ब्रॉडबैण्ड मिशन
③ प्रशिक्षण
④ डेटा संरक्षण अधिनियम को लागू करना

उच्चतम न्यायालय के अनुसार 3.5 करोड़ से अधिक वाद न्यायालयो मे विचाराधीन है जिस कारण 2-4% GDP को नुकसान पहुँचता है (CAG)। अत: न्यायिक सेवा के ऑनलाईन होने से समय, पैसा तथा क्षमता की बचत होगी जो अन्य उत्पादक कार्यों मे लगाकर अधिक प्रगति की जा सकती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. Bring out the similarities and differences in the Bill of Rights in the Constitution of the United States and Fundamental Rights in the Constitution of India. **(150 words) 10**

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में उपबंधित बिल ऑफ राइट्स और भारत के संविधान में मूल अधिकारों के मध्य समानताओं और भिन्नताओं को रेखांकित कीजिए।

संयुक्त राज्य अमेरिका मे 18वीं सदी के अंतिम दशक मे मौलिक अधिकार संविधान मे 'बिल ऑफ राइट्स' के नाम से नागरिको को दिए है। जबकि भारतीय संविधान के भाग - 3 मे यह वर्णित है

समानता

① समानता का अधिकार
भारत मे – जाति, धर्म, रंग, नस्ल, जन्म के आधार पर भेदभाव नही।
अमेरिका - धर्म, नस्ल, रंग के आधार पर भेदभाव नही।

② अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार

③ न्यायिक समीक्षा का प्रावधान
भारत मे — अनुच्छेद - 13

④ भारत मे → अनुच्छेद - 21 विधि का सम्यक प्रकार से निर्माण (ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ)
अमेरिका - सम्पूर्ण विधि निर्माण मे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ।

⑤ ~~मूलाधार~~ मूल अधिकारो के हनन पर न्यायालय की शरण का प्रावधान।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

भिन्नताएँ

| भारत | यू.एस.ए |
|---|---|
| ① विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर न्यायिक समीक्षा। (सिवाय अनुच्छेद-21) ↓ (मेनका गाँधी वाद) | विधि की सम्यक निर्माण (ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ) द्वारा न्यायिक-समीक्षा। ↓ अधिक विस्तारित → न्यायिक सर्वोच्चता |
| ② मूल अधिकारो के हनन पर संघ/राज्य दोनो खिलाफ उच्चतम या उच्च न्यायालय दोनो मे जाने का प्रावधान। (अनु. - 32 तथा 226) | मूल अधिकारो के हनन पर संघ के खिलाफ - संघीय कोर्ट राज्य के खिलाफ - प्रांतीय कोर्ट |

ब्रिटेन के 13 वीं सदी मे प्रथम मैग्नाकार्टा से शुरू हुए मौलिक अधिकारो ने व्यक्ति की गरिमा और जीवन के अधिकारो का संरक्षित रखते हुए तानाशाही और निरंकुशता से बचाया है। यही कारण है कि USA तथा भारत दोनो ही राष्ट्र लोकतंत्र के मामले सफल राष्ट्रो मे शुमार होते है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

**6.** It is often argued that the implementation of The Forest Rights Act (FRA), 2006 has so far been tardy and ineffectual. Discuss. **(150 words) 10**

प्राय: यह तर्क दिया जाता है कि अभी तक वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 का कार्यान्वयन धीमा और निष्प्रभावी रहा है। चर्चा कीजिए।

आदिवासियो के अधिकारो को संरक्षित करने हेतु 2006 मे वन अधिकार अधिनियम पारित किया गया।

- व्यक्तिगत अधिकार — अधिकतम 4 एकड़ जमीन
- सामुदायिक अधिकार — जल संरक्षण, वन संरक्षण तथा लघु वनोपज को अधिकार
- बौद्धिक संपदा अधिकार — परंपरागत ज्ञान का उचित लाभ हेतु।

**उचित कार्यान्वयन न होने के कारण**

① प्रक्रियात्मक जटिलताओ का होना।
   ↳ त्रिस्तरीय जाँच का होना, तीन विभागो का (वन, जनजाति, राजस्व) समन्वय न होना

② आदिवासियों मे जागरूकता का न होना।

③ अधिकारियो की जवाबदेही का न होना।
   ↳ समयबद्ध प्रक्रिया नही।

④ राजनीतिक गोलबंदी का शिकार होना।

⑤ दस्तावेज़ो का अभाव होना; जिससे वहाँ के आदिवासी बता पाना मुश्किल।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

⑥ प्रशासनिक मनोवृत्ति का नकारात्मक होना।

**सुधार हेतु उठाए जाने वाले कदम**

① नियमो मे सरलताएँ तथा उसका आदिवासी भाषा मे रूपांतरण करना।

② प्रक्रियात्मक जटिलताओ का सरलीकरण।

③ विभिन्न एनजीओ जैसे - वनवासी आश्रम, सात्विक, वनमाला आदि का सहयोग लेना।

④ प्रशासनिक जवाबदेही तथा समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करना।

**महत्व**

① अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या - 7-8% है तथा उनका जीडीपी मे योगदान 3% से भी कम है।

② भू-अधिकारो, लघुवनोपज अधिकारो से आय के स्रोतो का सृजन तथा उनमे निवेश के अवसर बढ़ने से गरीबी, बेरोजगारी कम होगी तथा शिक्षा व स्वास्थ्य तथा पोषण का स्तर बढ़ेगा।

③ आय मे वृद्धि से वनो का असतत दोहन रुकेगा जो आगे के संचित कार्बन स्टॉक मे वृद्धि सुनिश्चित करेगा। अतः एफआरए अधि० की पालना न केवल विधिक बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. The National Digital Health Mission (NDHM) has the potential to bring a new revolution in India's health sector in multiple ways. Explain.
(150 words) 10

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM) में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्रक में कई तरह से एक नई क्रांति लाने की क्षमता है। व्याख्या कीजिए।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को साकार करने हेतु 2020 मे राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई।

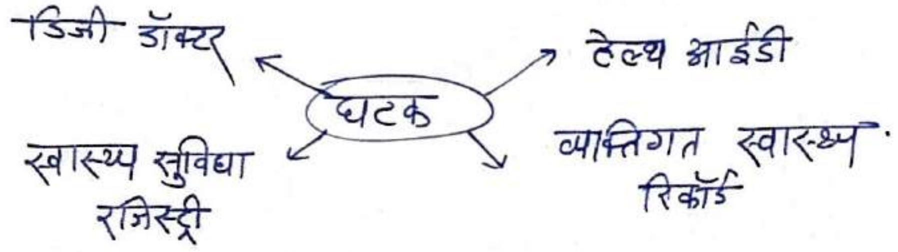


क्रांतिकारी कदम

① स्वास्थ्य सुविधाओ का विस्तार

② महामारी के दौर मे भी स्वास्थ्य सुविधाओ की उपलब्धता रहेगी।

③ स्वास्थ्य डाटा होने से → उत्कृष्ट स्वास्थ्य नीति निर्माण

④ बेहतर व तार्किक रूप स्वास्थ्य खर्च हो सकेगा

⑤ दूरस्थ तथा दुर्गम क्षेत्रो मे स्वास्थ्य ऑनलाईन।

⑥ रोगो की निगरानी मे।

⑦ स्वास्थ्य सेवाओ तथा पोषण मे वृद्धि से मानव संसाधन की गुणवत्ता उत्तम होगी → आर्थिक इंजन का काम

⑧ डॉक्टर की सूची व सुविधाओ के विस्तार मे।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

**प्रभाव**
- समावेशी स्वास्थ्य प्राप्त
- स्वास्थ्य के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण मे बदलाव
- सतत विकास लक्ष्य -3 को प्राप्त करने मे सहायक
- अच्चतम मानव संसाधन ↓ अनुकूलतम स्वास्थ्य नीति

**चुनौतियाँ**
1. डाटा सुरक्षा तथा निजता
2. ऑनलाइन धोखाधड़ी
3. स्वास्थ्य साक्षरता
4. डिजिटल डिवाइड
   - L एनएसओ
     - शहरी – 42% परिवार मे इन्टरनेट
     - ग्रामीण – 15% परिवार मे इन्टरनेट

**आगे की राह :**

1. एनडीएचम रोगी के साथ स्वास्थ्य सुविधा प्रदाताओ की जानकारी भी देता है, अत: स्वास्थ्य नीति निर्माण का मुख्य केन्द्र बिन्दु बनेगा।।
2. इसके विस्तार हेतु कॉमन सर्विस सेन्टर जैसे स्वास्थ्य सेवा केन्द्र दूरस्थ तथा दुर्गम क्षेत्रो मे शुरू हो सकते है।
3. डाटा सुरक्षा हेतु विधिक तथा संस्थागत उपबंध किए जाने चाहिए।

एनडीएमएच भारत मे लंबे समय से प्रतीक्षित एक क्रांतिकारी योजना है जो संपूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्र मे बड़े बदलाव लाने मे सक्षम होगी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. Explain the rationale behind the creation of a Social Stock Exchange in India. Do you think this move would boost social impact investing in the country? (150 words) 10

भारत में सोशल स्टॉक एक्सचेंज के सृजन के पीछे निहित तर्क की व्याख्या कीजिए। क्या आपको लगता है कि इस कदम से देश में सामाजिक प्रभाव वाले निवेश को प्रोत्साहन प्राप्त होगा?

सोशल स्टॉक एक्सचेंज : वे प्लेटफॉर्म जहाँ गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) अथवा गैर लाभकारी सामाजिक उद्यमो के लिए निवेशको के माध्यम से धन एकत्र किया जाता है।

भारत मे विनियम - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)
→ 2019-20 के बजट मे घोषित।

आवश्यकता

① सामाजिक क्षेत्र मे सरकार के साथ निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा देना।
② सामाजिक उद्यमो मे व्याप्त धन की कमी दूर करने हेतु।
③ निवेशको को अपने धन का सामाजिक कल्याण मे खर्च करने के विकल्प का सृजन
④ भारत मे सामाजिक क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल आदि) मे निवेश को बढ़ावा देने हेतु
⑤ संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यो और

संवैधानिक दिशा निर्देशो (भाग- IV, DPSPs) की पूर्ति हेतु।

**प्रभाव**

1. कोविड-19 महामारी के पश्चात सरकार पर खर्च का दबाव बढ़ा है ऐसे मे निजी पूँजी जुटने से सरकार अन्य अर्थव्यवस्था के क्षेत्रो मे निवेश कर सकेगी।
2. निवेशको मे गैर लाभकारी सगंठनो मे विश्वास पैदा होगा → इन पर विनियमन होगा।
3. सगंठनो पर प्रदर्शन मे सुधार करने का दबाव होगा क्योंकि निवेशक इसके बाद निवेश की मात्रा को बढ़ाएगें।
4. भारत मे सांस्कृतिक मूल्य जैसे - दान, जकात आदि के कारण के कारण भी इन्हे प्रोत्साहन मिलेगा।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज इससे पूर्व भी ब्राजील, यू.के., कनाडा आदि मे सफलतापूर्वक संचालित हो रहे है। भारत मे 20 लाख से भी अधिक सामाजिक उद्यम है जिसके वृद्धि तथा कार्यक्षेत्र को देखते हुए इसके मानको का निर्माण कर सोशल स्टॉक एक्सचेंज जैसे निवेश के विकल्पो का निर्माण करना चाहिए।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. Broadly explain the composition and functions of the District Mineral Foundation (DMF). Also, discuss the issues in the effective utilisation of DMF funds. **(150 words) 10**

जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) की संरचना और कार्यों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। साथ ही, DMF निधियों के प्रभावी उपयोग के समक्ष मुद्दों पर भी चर्चा कीजिए।

खान और खनिज विकास अधिनियम, 2015 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक खनन कार्य वाले जिले मे गैर लाभकारी ~~संगठन~~ ट्रस्ट के तौर पर जिला खनिज फाउण्डेशन की स्थापना की जाएगी।

फंड → खनन कंपनियो द्वारा रॉयल्टी के 10 - 30% राशी के रूप मे। (नॉन लेप्सेबल)

योजना - प्रधानमंत्री खनिज/खनन क्षेत्र कल्याण कार्यक्रम।

कार्य :-

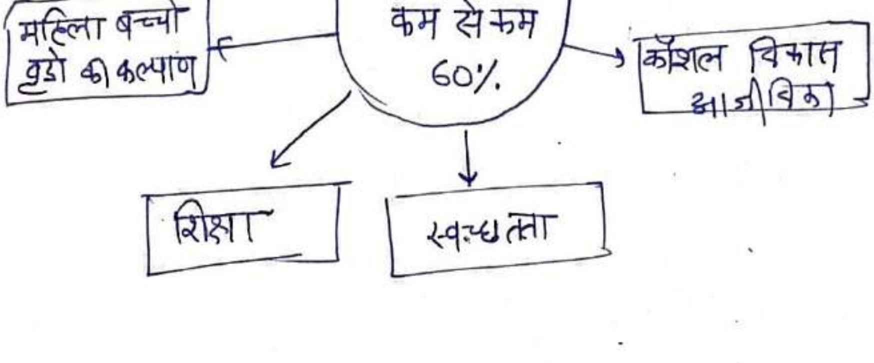

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

योजना निर्माण

डीएमएफ ट्रस्ट द्वारा योजना निर्माण → ग्राम सभाओं द्वारा सुझाव → अन्तिम कार्य योजना
↓
राशि आवंटन

**मुद्दे**
① फण्ड का उपयोग सामान्य कार्यों के लिए होना, जबकि यह प्रभावित समुदाय के लिए है।
② प्रशासन, योजना और निवेश मे गंभीर गड़बड़ियों का होना।
③ ढाँचागत क्षेत्रों पर अधिक खर्च जबकि इसकी सीमा 40% ही निर्धारित की हुई है।
④ जनभागीदारी की कमी तथा योजना का प्रसार अल्प होना।
⑤ ग्राम सभा की भागीदारी बढ़ाने हेतु राज्यो द्वारा प्रयास न करना (सिवाय छत्तीसगढ़ के)
⑥ प्रभावित क्षेत्र की गणना करने मे चूक।

इस हेतु प्रत्येक डीएमएफ की एक वेबसाईट होनी चाहिए जिस पर प्रत्येक माह डाटा जारी हो तथा वित्तीय औचित्यता के सिद्धान्त की अनुपालना हो। आदिवासी क्षेत्रों के रहवासियों के हितो और सामाजिक कल्याण को केन्द्रित योजना अनुच्छेद-46 की भावनाओं के अनुरूप भी है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

**10.** Illiteracy and poverty are hindrances in the formation of healthy public opinion on public policies. Discuss with suitable examples. **(150 words) 10**
निरक्षरता और निर्धनता सार्वजनिक नीतियों के संबंध में स्वस्थ जनमत के निर्माण में बाधक हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ विवेचना कीजिए।

सार्वजनिक नीतियो के निर्माण मे जनसहभागिता होने से न केवल बेहतर नीति निर्माण होता है इसे लागू करने का भी दबाव प्रशासन पर बनता है।

परन्तु निरक्षरता (भारत मे - %) तथा निर्धनता (तेंदुलकर समिति के अनुसार — %) ने नीति निर्माण की दिशा और दशा मे परिवर्तन किया है।

**निरक्षरता से नीति निर्माण व जनमत निर्माण मे बाधा**

1. जनता मे जागरूकता का अभाव → सक्रियता नही
2. तथ्यात्मक रूप से व स्थानीय हितो के अनुरूप नीति निर्माण का न होना।
3. शिकायत तंत्र का प्रयोग न कर पाने से भ्रष्टाचार तथा अकार्यकुशलता।
4. नीति के क्रियान्वयन पर नकारात्मक प्रभाव तथा लाभार्थी पूर्ण लाभार्थी न हो होगा।

उदा० - राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति → स्वास्थ्य शिक्षा का अभाव → नीति निर्माण मे भागीदारी कम → स्वास्थ्य अवसंरचना की कमी → कोविड-19 मे बुरा असर

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

निर्धनता के कारण नीति निर्माण व जनमत निर्माण पर कुप्रभाव

① सही विषयो के बजाय पॉपुलर तरीके चुनना।

② नीति निर्माण मे भ्रष्टाचार

③ व्यापक तौर पर अपनाने के बजाय वोट बैंक आधारित नीति निर्माण

④ क्षमता निर्माण पर आधारित करने के बजाय तात्कालिक सहायता पर बल

⑤ श्रम बल की उत्पादकता मे गिरावट → अन्य क्षेत्रको मे भी नकारात्मक प्रभाव

उदाहरण – निर्धनता ↑ → रोजगार ↑ → उत्पादकता ↑
→ पेंशन/सहायता ↑ → राजकोष भार ↑
उदा० – बेरोजगार भत्ता

अत: नीति निर्माण मे निम्न विकल्पो पर ध्यान रखा जाना चाहिए –

① भविष्य मे वित्तीय भार न बने

② क्षमता निर्माण करे ताकि गरीबी मुक्त कर सके

③ गरीबी सभी सामाजिक बीमारियो का मूल है जिससे निरक्षरता तथा कुपोषण जैसे उत्पन्न होते है इन्हे समूल नाश करे।

अत: ऐसी योजनाएँ जैसे – पीएम स्किल इंडिया, शिक्षा नीति – 2020 मे क्षमता निर्माण पर बल आदि को बढ़ावा देना चाहिए।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

**11.** A critical appraisal of the outcomes of the 74th Constitutional Amendment Act underlines the need for second-generation reforms to strengthen decentralisation of urban local governance in India. Discuss. **(250 words) 15**

74वें संविधान संशोधन अधिनियम के परिणामों का आलोचनात्मक मूल्यांकन भारत में शहरी स्थानीय शासन के विकेंद्रीकरण को सुदृढ़ करने हेतु दूसरी-पीढ़ी के सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। चर्चा कीजिए।

74 वे संविधान संशोधन, 1992 के माध्यम से भारतीय संविधान मे भाग - 9 A (अनुच्छेद 243पी - 243 जेड्जी) तथा अनुसूची-12 को जोड़कर शहरी क्षेत्र मे स्थानीय स्व-शासन लागू किया गया।

**शहरी स्थानीय स्वशासन के सकारात्मक परिणाम**

1. आम जन की सहभागिता मे वृद्धि।
2. नियमित चुनावो से राजनीतिक सक्रियता मे वृद्धि।
3. सहयोग, जवाबदेही तथा उत्तरदायित्व की भावना का विकास
4. आरक्षण का प्रावधान → समावेशी प्रतिनिधित्व
5. राज्य वित्त आयोग → वित्तीय अधिकारो तथा हस्तांतरण मे वृद्धि।
6. स्थानीय आवश्यकताओ के अनुरूप नीति निर्माण

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

नकारात्मक परिणाम

① व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार → मणिशंकर अय्यर समिति द्वारा इसे भ्रष्टाचार का विकेन्द्रीकरण कहा।

② वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर नही।
↳ अभी भी राज्यो के अनुदान पर निर्भर

③ वित्तीय स्रोतो का आवंटन नही।
↳ कर लगाने शक्ति का हस्तांतरण न होना अथवा चुनावी लाभ हेतु कारोपण न करना।

④ कार्मिकों का अभाव → कर्मचारियों की कमी
↓

⑤ प्रतिनिधियो को उचित प्रशिक्षण नही होना।
↳ प्रक्रिया की जानकारी का अभाव
↳ अधिकारियों की मनमर्जी का बढ़ना

⑥ शहरी निकायो को बारहवी अनुसूची के अनुरूप कार्यों का हस्तांतरण न होना

⑦ राजनीतिक हस्तक्षेप का होना।

⑧ अन्य निकायो की स्थापना से इनके कार्यों को कम महत्व — शहरी विकास प्राधिकरण
— बिजली-पानी प्राधिकरण,
— स्मार्ट सिटी कंपनी

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

दूसरी पीढ़ी के सुधार व उनकी आवश्यकता

① राजनैतिक हस्तक्षेप मे कमी लाना तथा निकायो की स्वायत्तता को बढ़ाना।

② प्रतिनिधियो व कार्मिको के प्रशिक्षण के तंत्र को विकसित कर उन्हे विश्वस्तरीय प्रशिक्षण देना।

③ विश्वस्तरीय शहरी निकायो से जोड़ना।
(वाराणसी - क्योटो आदि।

④ योजना निर्माण मे भागीदारी तथा विशेषज्ञ सेवाए उपलब्ध कराना।

⑤ वित्तीय स्रोतो को विकसित करना तथा जवाबदेही और ई-गवर्नेंस के माध्यम से भ्रष्टाचार पर नकेल कसना।

शहरी निकायो की विश्वस्तर पर तुलना करने पर भारत काफी दूर नजर आता है जबकि 30 प्रतिशत आबादी और 65 फीसदी जीडीपी का हिस्सा यही है। स्मार्ट सिटी, अमृत मिशन, स्लम मुक्त शहर निर्माण जैसी योजनाओ मे स्थानीय निकायो की भागीदारी से ही ~~सतत के~~ सतत विकास लक्ष्य संख्या-11 सतत शहर और समुदाय को प्राप्त किया जा सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

**12.** Asymmetry is an important characteristic of federalism in India, which has helped in the accommodation of diverse demands inherent in our democracy. Discuss. **(250 words) 15**

असममिति भारत में संघवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसने हमारे लोकतंत्र में निहित विविध मांगों के समायोजन में सहायता प्रदान की है। चर्चा कीजिए।

भारत मे असमामिति सघवांद संघ का गठन करने वाली इकाइयो के बीच राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय व्यवस्थाओ मे असमान शक्ति वितरण पर आधारित सघवाद।

① 5वी अनुसूची — अनुसूचित क्षेत्रो हेतु विशेष प्रावधान
↳ 10 राज्यो के कुछ क्षेत्र

② 6ठी अनुसूची — अनुसूचित जनजाति क्षेत्रो मे स्वायत्त शासन जिला परिषद का गठन
↳ असम – 3 ; कार्बी ऐंगलोंग, दिमा कछार, बोडोलैण्ड
↳ मिजोरम – 3 ; चकमा, लाई, मारा
↳ त्रिपुरा – 1 ; त्रिपुरा पहाड़ी
↳ मेघालय – 3 ; गारो, खासी, जयंतिया

③ विशेष राज्य का दर्जा — केन्द्र द्वारा केन्द्रीय योजनाओ मे अधिक हिस्सेदारी
केन्द्र : राज्य
↳ सामान्य – 60:40
↳ विशेष – 90:10

④ अनुच्छेद – 371 – के तहत राज्यो मे विशेष प्रावधान
अनु० – 371 – महाराष्ट्र - गुजरात हेतु
371 A = नागालैण्ड का त्वेनसांग जिला

⑤ राज्यसभा मे राज्यो का असमान प्रतिनिधित्व

⑥ वित्त आयोग द्वारा अनु० - 275 के अनुसार विशेष अनुदान की व्यवस्था

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

⑦ धार्मिक, सामाजिक - सांस्कृतिक, भूस्वामित्व, प्रथागत कानूनों का संरक्षण।

⑧ केन्द्रशासित प्रदेशों - जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी तथा दिल्ली में अंतर

लोकतंत्र मे विविध मांगो के समायोजन मे सहायक

① सामाजिक न्याय — अलग-अलग वंचित समूहों के लिए विशेष प्रावधान

② विविधता मे एकता को बढ़ावा - कमजोर समूह की रक्षा कर विविधता का सम्मान

③ अधिकारो का संरक्षण — मौलिक अधिकार अनु॰ - 29, 30, 25 आदि का रक्षण

④ कट्टरता को कम करने मे — जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत मे भारत विरोधी गतिविधियों को रोकने में।

⑤ जनसहभागिता बढ़ाकर लोकतंत्र मे प्रतिनिधित्व प्रदान करना।

हालांकि इस असममिति संघवाद ने कई चुनौतियाँ भी उत्पन्न की है जैसे

① राज्यसभा मे असमान प्रतिनिधित्व का छोटे राज्यों द्वारा विरोध।

② विशेष दर्जे की माँग का, सक्षम राज्यो द्वारा भी माँग करना। उदा० - राजस्थान, मध्यप्रदेश।

③ पूर्वोत्तर मे विभिन्न आदिवासी समूहो की प्रथाओ मे ही विरोधाभास होना → हिंसा होना।

④ समूह विशेष को विशेष रियायते देने पर अन्य समूहो द्वारा विरोध ; जिससे अलगाववाद की प्रवृत्ति का बढ़ना

अतः राज्यो के बीच असमान स्थिति असममिति संघवाद को जन्म देती है तथा असमानता के कारण उत्पन्न असंतोष को समाप्त करती है। ~~ऐसे प्रावधान~~ और लोकतांत्रिक मूल्यो के प्रति विश्वास बढ़ाती है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

**13.** It is argued that unchecked and rampant exercise of the power to insert laws in the Ninth Schedule results in undermining of Constitutional supremacy and creation of Parliamentary hegemony. Do you agree? Justify your stand with logical arguments. **(250 words) 15**

यह तर्क दिया जाता है कि नौवीं अनुसूची में विधियों को सम्मिलित करने की शक्ति के अनियंत्रित और व्यापक स्तर पर प्रयोग से संवैधानिक सर्वोच्चता में कमी और संसदीय आधिपत्य का सृजन होता है। क्या आप सहमत हैं? उचित तर्कों के साथ अपने मत की पुष्टि कीजिए।

प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 के माध्यम से 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। इसमे भूमि सुधार कानूनो को न्यायिक समीक्षा से बचाने हेतु राज्यो के व केन्द्र के कानूनो को रखा गया।

~~केशवानन्द भारती वाद, 1973 मे.~~

संसदीय आधिपत्य का सृजन करता है, क्योंकि –

1. मौलिक अधिकारो का हनन किया जा सकता है
2. अनुच्छेद – 13 मे वर्णित विधि की सीमाओ से बाहर होना
3. अनु० – 32 तथा अनुच्छेद – 226 के माध्यम से उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को प्राप्त रिटो का प्रयोग नही हो सकता।
4. संविधान के मौलिक आदर्शो और अधिकारो का उल्लघन
5. सरकार/संसद मे एकाधिकार की भावना बढ़ाती है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. संविधानवाद को कमजोर करती है।
7. लोकतंत्र के मुख्य मूल्य - संतुलन को असंतुलित करती है (चेक्स एण्ड बैलेन्स)

हालांकि वामन राव वाद, 1981 तथा आई.आर. कोएल्हो वाद, 2007 मे उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल, 1973 के पश्चात शामिल सभी 9वी अनुसूची के कानूनो का न्यायिक परीक्षण होसकता है यदि वे अनुच्छेद -14, 19 और 21 के साथ मूलभूत विशेषताओ का उल्लंघन कर रहे हो।

इसके कई प्रभाव पैदा हुए है जैसे -
1. न्यायिक समीक्षा के क्षेत्राधिकार मे वृद्धि
2. संसदीय सर्वोच्चता के बजाय संवैधानिक सर्वोच्चता
3. सरकार की मनमर्जी के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही
4. संविधान की मूलभूत विशेषताओ की रक्षा
5. मौलिक अधिकारो का रक्षण।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

हालांकि कई समीक्षकों ने इस पर चिंता भी जताई है क्योंकि –

1. 9वीं अनुसूची के कानून भाग-IV दिशानिर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाते हैं
जैसे-अनु-39(b) संसाधनों का सम वितरण
2. सामाजिक न्याय को स्थापित करते हैं
3. सुभेद्य वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं
4. सरकारों के चुनावों में दिए वादों की पूर्ति सुनिश्चित करते हैं

**आगे की राह**

↳ मिनर्वा मिल्स वाद में उच्चतम न्यायालय ने दिशानिर्देशक तत्वों व मौलिक अधिकारों के संतुलन को संविधान की आधारभूत विशेषता स्वीकारा है।

अतः संसदीय अधिपत्य अथवा न्यायिक आधिपत्य के बजाय संवैधानिक आधिपत्य को स्वीकार किया जाना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

**14.** Though the antecedents of the Indian Constitution can be traced to a series of British colonial legislations and other Constitutions of the world, in spirit and practice it has been completely Indian. Discuss. **(250 words) 15**

यद्यपि भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि ब्रिटिश औपनिवेशिक कानूनों की श्रृंखलाओं और विश्व के अन्य संविधानों में देखी जा सकती है, तथापि सिद्धांत और व्यवहार में यह पूर्णतः भारतीय है। चर्चा कीजिए।

26 नवम्बर 1949 को पारित भारतीय संविधान को कई आलोचको ने उधार का संविधान बताया है। क्योंकि भारतीय संविधान मे कई ऐसे तत्व है जो विदेशी संविधानो से लिए है। जैसे –

| स्रोत | विषय |
|---|---|
| भारत शासन अधिनियम 1935 | संघीय शासन, न्यायपालिका प्रशासन, सीएजी, लोक सेवा आयोग |
| ग्रेट ब्रिटेन | संसदीय शासन, विशेषाधिकार विधि का शासन, एकल नागरिकता |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन न्यायिक स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग |
| कनाडा | संघात्मक शासन, अवशिष्ट शक्ति – केंद्र |
| आयरलैंड | नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा मे मनोनीत सदस्य |
| दक्षिण अफ्रीका | संविधान मे संशोधन राज्यसभा का निर्वाचन |
| फ्रांस | समता, स्वतंत्रता, बंधुता तथा गणतंत्र |
| रूस | मौलिक कर्तव्य, सामाजिक न्याय |
| जर्मनी | आपातकाल मे मूल अधिकार का निलंबन |
| जापान | विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया |
| आस्ट्रेलिया | समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन |

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

उपरोक्त आधारो पर संविधान सभा के सदस्य के. हनमथैया ने कहा — हम भारतीय वीणा का स्वर सुनना चाहते थे, लेकिन यह इंग्लिश बैण्ड का संगीत सुना रहा है। साथ ही उन्होने इसे गांधीवादी सिद्धान्तो का विरोधी संविधान भी बताया।

इन आलोचनाओ का जवाब डा० अम्बेडकर ने दिए —

① संविधान निर्माण एक शाश्वत परंपरा है जो अलग - अलग समय पर देश बनाते है। नवीनतम संविधान निर्माता राष्ट्र यह सुनिश्चित करता है कि पुराने संविधान की गलतियाँ न हो तथा अच्छी बाते समाहित हो।

② संविधान के मौलिक विचार (मूल अधिकार, कर्तव्य न्याय, समानता, लोकतंत्र) आदि पर किसी का एकाधिकार नही है।

③ सभी प्रावधानो का भारतीय संस्कृति के अनुरूप संहिताकरण किया है जैसे —
अनुसूची-6 विशेष अनुसूचित जनजातियो हेतु

④ सभी धर्मो को सम्मान देने की परंपरा तथा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

भावनानुरूप महिला - बच्चो हेतु विशेष प्रावधान

(5) शिक्षा हेतु स्थानीय भाषा का प्रावधान व भाषा संरक्षण — अनुच्छेद 350 A तथा B

(6) भौगोलिक जटिलताओ का सम्मान करते हुए विशेष राज्यो का प्रावधान तथा ~~राज्य~~ राज्य व संघ राज्य क्षेत्रो मे विभाजन

(7) वयस्क मताधिकार तथा सुभेद्य वर्गों हेतु विशेष प्रावधान।

(8) धर्मनिरपेक्षता का भारतीय स्वरूप — सभी धर्मों का सम्मान (सर्वधर्म समभाव)

उपरोक्त आधारो से स्वीकारा जा सकता है भारतीय संविधान मे विदेशी तत्व का भारतीयकरण करके ही उन्हे शामिल किया है। भारतीय संविधान एक गतिशील जीवंत दस्तावेज है जिसे लोगो की आकांक्षाओ को पूर्ण करने के लिए डिजाईन किया है और यह तीसरी दुनिया के उभरते लोकतंत्रो के लिए भी प्रेरणादायी है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

**15.** In India, the Finance Commissions are established pursuant to the constitutional mandate. In this context, do you think the State Finance Commissions have been effective in promoting fiscal federalism? Substantiate with arguments. **(250words) 15**

भारत में वित्त आयोगों की स्थापना संवैधानिक अधिदेश के अनुसार की जाती है। इस संदर्भ में, क्या आपको लगता है कि राज्य वित्त आयोग राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देने में प्रभावी रहे हैं? तर्कों के साथ पुष्टि कीजिए।

संघीय वित्त आयोग ⇒ अनुच्छेद - 280 — राष्ट्रपति द्वारा, प्रत्येक 5 वर्ष मे

- ① संघ राज्यो मे करो का वितरण
- ② राज्यो-राज्यो मे धन वितरण
- ③ पंचायती राज संस्थाओ को अनुदान
- ④

राज्य वित्त आयोग - (राज्यपाल द्वारा) प्रत्येक 5 वर्ष मे अनुच्छेद - 243 (I) तथा अनुच्छेद - 243 (Y) के द्वारा एक ही।

- ① राज्यसरकार व पंचायतो मे करो का बटंवारा
- ② पंचायतों के करो, शुल्को का निर्धारण
- ③ अनुदान
- ④ वित्तीय सुधार हेतु आवश्यक कदमो की अनुशंसा

**राज्य वित्त आयोग ने राजकोषीय संघवाद बढ़ाया है**

① तृणमूल स्तर तक वित्तीय आवंटन

② राज्य से स्थानीय निकायो को धन का हस्तांतरण

③ 11वीं तथा 12वीं अनुसूची के कार्यों का आवंटन तथा इन्हे करने हेतु शुल्क व करो का कार्यभार सौंपना। उदा० - नगरीय विकास कर (UD Tax)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(4) केन्द्रीय वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोग से अनुदान प्राप्त होना
(5) राज्य की नीतियो की सफलता स्थानीय निकायो पर निर्भर होना। उदा० - स्मार्ट सिटी, अमृत सिटी
- आदर्श ग्राम योजना

(6) राजकोषीय संघवाद कमजोर हुआ है

(1) संविधान की मूल भावना के अनुरूप पंचायतें आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हुई है।
(2) राज्य वित्त आयोग का गठन या तो समय पर नहीं होता है अथवा इनकी अनुशंसाओ को अस्वीकार कर दिया जाता है।
(3) अनुदान पर अधिक निर्भर
(4) मध्यवर्ती तथा जिला पंचायत आर्थिक रूप से अयोग्य।
(5) भ्रष्टाचार की बढ़ती मात्रा
(6) प्रशासनिक हस्तक्षेप अधिक।

आगे की राह
↳ (1) नियमित रूप से वित्तीय आवंटन
└ (2) पारदर्शिता हेतु सामाजिक ऑडिट तथा ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

③ जिम्मेदारियो के साथ संसाधनो का विकेन्द्रीकरण तथा उचित स्तर पर जवाबदेही तंत्र का विकास

④ करो की बाध्यता निर्धारित करना ताकि अनुदानो पर निर्भरता कम हो।

⑤ प्रदर्शन आधारित आवंटन को बढ़ावा।

⑥ अनुदान बाध्यकारी हो अथवा पालन न करने के कारण सार्वजनिक हो।

अतः अनुच्छेद – 40 की भावना व गाँधीजी के दर्शन को प्रतिबिम्बित पंचायती राज संस्थाओ का सशक्तिकरण आर्थिक सशक्तिकरण पर निर्भर है। इस हेतु राज्य वित्त आयोग मे सुधार की नितांत आवश्यकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. In India's political system, the Executive and Legislature are not strictly separated; instead, their relationship is intimate and non-dichotomous. Comment. (250 words) 15

भारत की राजनीतिक व्यवस्था में, कार्यपालिका और विधायिका पूर्णतः पृथक नहीं हैं, अपितु इनके मध्य अभिन्न एवं अविच्छेद संबंध हैं। टिप्पणी कीजिए।

भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है; जिसमे कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यो मे से होता है तथा कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है।

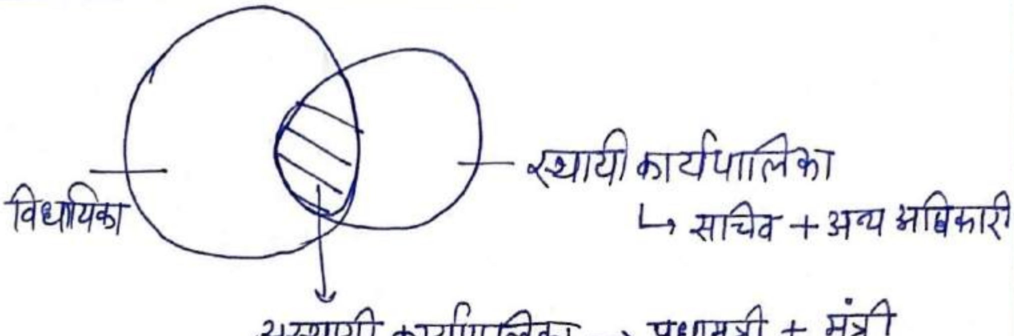


चित्र : भारतीय विधायिका और कार्यपालिका मे सम्बन्ध

**कार्यपालिका और विधायिका मे संबंध**

① कार्यपालिका (अस्थायी), निम्न सदन के प्रति जवाबदेह होती है। (अनुच्छेद - 75) [सामूहिक उत्तरदायित्व]

② प्रश्नकाल, चर्चा आदि के माध्यम से

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

कार्यपालिका के व्यवहार को नियंत्रित करती है।

③ संसदीय समितियों के माध्यम से कार्यपालिका के कार्यों, वित्तीय सूचनाओं, योजनाओं आदि पर दिशा निर्देश जारी करती है

④ निंदा प्रस्ताव या कटौती प्रस्ताव के माध्यम से सरकारी योजनाओं या मंत्रियों के प्रति अविश्वास प्रकट करती है।

⑤ कार्यपालिका के कार्यों के लिए अधिनियमों का निर्माण करना। ⑥ अध्यादेश द्वारा विधि निर्माण └ अनु॰-123

⑥ कार्यपालिका विधायिका मे पृथक्करण

① इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण वाद, मे उच्चतम न्यायालय मे शक्ति पृथक्करण को व्यापक संदर्भों मे देखा।

① संसद की सम्प्रभुता, जब तक कि वह संविधान का उल्लंघन न करे।

② कार्यपालिका को नीति निर्माण के लागू करने मे स्वतंत्रता।

③ अधिकारियों के वेतन - भत्ते, स्थानान्तरण आदि का अधिकार।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(4) कार्यकारी आदेश यथा - कैबिनेट कमेटी का निर्माण आदि मे विधायिका का सीमित होना।

(5) विधायिका के भीतरी कार्यों मे कार्यपालिका का अहस्तक्षेप।

आगे की राह

(1) एक लोकतांत्रिक सरकार और भारत जैसे विविधताओं से भरे देश मे शक्ति का पूर्ण विभाजन अवांछनीय और अव्यवहारिक है

(2) आपसी सहयोग सरकार की कार्यपालिका और विधायी शाखा के बीच त्रुटियां कम करने के साथ ही चेक्स एण्ड बैलेन्स (संतुलन -प्रतिसंतुलन) बनाए रखने मे भी मदद करता है

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. Reduction in the overall size of the bureaucracy has been seen as the underlying idea behind civil services reforms. Is it a good idea to reduce the size of the Indian bureaucracy? Examine in light of the experience of India.
**(250 words) 15**

नौकरशाही के समग्र आकार में कमी को सिविल सेवाओं में सुधार के पीछे अंतर्निहित विचार के रूप में देखा गया है। क्या भारतीय नौकरशाही के आकार को कम करना एक उपयुक्त विचार है? भारत के अनुभव के आलोक में परीक्षण कीजिए।

लोकसभा मे दिए प्रश्न के जवाब मे बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) मे 22% पद रिक्त है।

हालांकि कई बार नौकरशाही के आकार मे कमी को सिविल सुधारो से जोड़ा जाता है क्योंकि —

① रिक्त पदो पर लेटरल एन्ट्री से भर्ती करके विशेषज्ञो को भर्ती किया जा सकेगा।
② परम्परागत नीति निर्माण से मुक्ति मिलेगी।
③ अधिक नौकरशाह प्रशासनिक जटिलताओ मे वृद्धि करते है
④ बेहतर गवर्नेंस हेतु ई-मॉडल्स अपनाना
⑤ आउटसोर्सिंग द्वारा आवश्यकतानुसार कार्मिको की भर्ती।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

हालांकि संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट ने बताया कि इनके आकार में कमी के बजाय अन्य सुधारों को लागू किया जाना चाहिए। क्योंकि इनकी कमी करने का विकल्प नहीं है —

~~कुछ~~

① विशाल आकार और विविधता युक्त देश

② अभी सरकार प्रदत्त सेवाएँ न तो ऑनलाईन हुई है और न ही सभी उसे प्राप्त करने मे सक्षम हुए हो

③ अस्थायी कार्यपालिका और विधायिका को उचित मार्गदर्शन देने हेतु।

④ राजनीतिक तटस्थता को बनाए रखने हेतु।

भारतीय नौकरशाही में कई सुधार अपेक्षित भी है- जैसे —

① औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त होकर निष्पक्ष, पारदर्शी तथा समतामूलक प्रशासन देना।

② वर्तमान युग की अपेक्षाओ पर आधारित नागरिक केन्द्रित शासन, ई-शासन, आधारित शासन प्रदान करना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

③ रिफॉर्म से ट्रांसफार्म की ओर जाना

④ नवाचारी तथा एजेन्ट फॉर चेन्ज की भूमिका अपनाना।

⑤ रेगुलेटर से फैसिलिटेटर की भूमिका में आना।

इसी को ध्यान मे रखते हुए कई योजनाएँ तथा तंत्र विकसित किए है जैसे –

① मिशन कर्मयोगी –

② विशेषज्ञीकरण को बढ़ावा हेतु लेटरल एण्ट्री

③ भर्ती प्रक्रिया मे सुधार हेतु बासवन्ना तथा होता समिति की सिफारिशे लागू करना।

④ गुड गवर्नेंस पर नागपुर घोषणा पत्र तथा ई गवर्नेंस पर हैदराबाद और शिलॉग घोषणा पत्र

⑤ 360° अप्रेजल व्यवस्था

⑥ सीपीजीआरएमएस के माध्यम से केन्द्रीकृत शिकायत प्रणाली।

लोकसेवको अथवा नौकरशाहो की संख्या की कमी को देखते हुए और कमी करना न्यायसंगत नही है; इसके बजाय इसी व्यवस्था मे सुधार करना चाहिए मसलन 2010 मे प्रस्तावित सिविल सर्विस स्टैण्डर्ड परफॉर्मेंस एण्ड एकाउण्टेबिलिटी बिल को लागू करना आदि। ताकि 21वी सदी के अनुरूप नौकरशाही को बनाया जा सके।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

**18.** There is a need to ensure better ethical standards, accountability and management of temples in India. Discuss in the context of issues associated with state intervention in management of temples. **(250 words) 15**

भारत में मंदिरों के बेहतर नैतिक मानकों, जवाबदेही और प्रबंधन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। मंदिरों के प्रबंधन में राज्य के हस्तक्षेप से संबंधित मुद्दों के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

हाल ही में कई वर्गों (संगठनों) ने मंदिरो मे सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध मांग उठाई है तथा अनुच्छेद-26 के समान ही हिन्दू ~~संस्थाओं~~ मन्दिरों का संचालन हिन्दू संस्थाओ की मांग की है।

**मन्दिर प्रबंधन मे राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता।**

1. संवैधानिक आधार- अनु-25(b) अनुदेशित करता है कि राज्य सामाजिक कल्याण और सुधार हेतु हिन्दू संस्थाओ को संचालित कर सकता है।
2. बहुसंख्यक समुदाय के हितो की रक्षा हेतु
3. मन्दिर प्रशासन मे व्याप्त धन संकेन्द्रण को रोककर जनहित मे ~~लगाने~~ हेतु।
4. दानदाताओ के हितो और भक्तो के हितो के संरक्षण हेतु।
5. असामाजिक प्रथाओ जैसे - छुआछूत, देवादासी आदि को रोकने हेतु।
6. नैतिक मानक जैसे - जवाबदेही, पारदर्शिता सुव्यवस्थित प्रबंधन, भक्तो के आगमन मे

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

सुविधा, ठहरने-, पेयजल - स्वच्छता की सुविधा, आवागमन के साधनों का विकास, चिकित्सा की व्यवस्था का प्रबंधन आदि।

⑦ भ्रष्ट व्यवस्था को रोकने और कर्मकाण्डी प्रथाओं को रोककर धार्मिक अध्यात्मिक उन्नयन करना।

**मुद्दे**

① धर्मनिरपेक्षीकरण से भटकाव → राज्य का धर्म मे हस्तक्षेप

② अधिकारियों का मन्दिर बोर्डों पर कब्जा।
उदा० - तिरुमाला बोर्ड

③ मन्दिर बोर्डों का राजनीतिकरण
उदा० - केदारनाथ देवस्थान बोर्ड विवाद

④ महिलाओं के प्रवेश का मुद्दा
↳ सबरीमाला मन्दिर विवाद

⑤ मन्दिर व्यवस्थाओं का कुप्रबंधन तथा आपदा प्रबंधन का अभाव – केरल मे 2016 में पुत्तिंगल मंदिर आग से 100 से अधिक की मौत

⑥ मन्दिर की आन्तरिक परम्पराओं मे ~~और~~ - अनुचित हस्तक्षेप। उदा० - गावबाकोर मन्दिर विवाद

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अतः राज्य को मन्दिर के प्रबंधन मे एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। विभिन्न राज्यो द्वारा ही मन्दिर बोर्ड का गठन किया है, परन्तु केन्द्रीय स्तर पर ऐसी कोई व्यवस्था नही है।

**आगे की राह**

① मन्दिर प्रबंधन मे न्यूनतम हस्तक्षेप

- बाहरी प्रशासन → अधिक मात्रा मे
- आन्तरिक (मन्दिर की गतिविधि) → न्यूनतम

② पारदर्शिता का बढ़ाना

③ गैर राजनीतिक लोगो तथा उसी समुदाय के लोगो को भागीदार बनाया जाना चाहिए।

④ केन्द्रीय स्तर पर स्टैण्डर्ड मानक विकसित होने चाहिए तथा बोर्ड को स्वायत्तता दी जानी चाहिए।

अतः सामाजिक नैतिक मानको और प्रबंधन को व्यवस्थित करने के लिए राज्य द्वारा मन्दिरो मे हस्तक्षेप न केवल संवैधानिक तथा नैतिक रूप से भी उचित है बशर्ते वह उस मन्दिर की मूल परंपराओ का उल्लंघन न करे।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

**19.** Over 15 years of the Right to Information Act have thrown up multiple experiences, some of which need to be built upon, while others necessitate steps to uphold the act in its letter and spirit. Explain with examples.

**(250 words) 15**

सूचना का अधिकार अधिनियम के 15 वर्षों ने अनेक अनुभव प्रदान किए हैं, जिनमें से कुछ के आधार पर कार्य करने की आवश्यकता है, जबकि अन्य अधिनियम को उसकी मूल भावना के अनुसार बनाए रखने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता पर बल देते हैं। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

प्रशासन मे पारदर्शिता को बढ़ाने वाले सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को संसद द्वारा पारित किया। ~~[illegible]~~ सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार भी है; जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा हमदर्द दवाखाना वाद मे अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत माना है।

सूचना के अधिकार के सकारात्मक प्रावधान तथा उनके प्रभाव।

1. भ्रष्टाचार के मामलो को उजागर करने मे उदा. – कॉमनवेल्थ, कोल, एनआरएचएम घोटाले
2. शासन-माफिया गठजोड़ उजागर करने मे
   └ याराना पूँजीवाद
3. सूचना के स्वैच्छिक प्रकटीकरण (section 4) से स्वत: जवाबदेही का विकास
4. समयबद्ध तरीके से जानकारी देने से प्रशासनिक विश्वास तथा कार्यकुशलता मे वृद्धि

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(5) प्रशासनिक अपव्यय के मामले उजागर
उदा० - सरकारी खर्च पर विदेश भ्रमण, पार्टी
(6) सूचित समाज को जन्म दिया है। एक अभिवृत्ति विकसित की है जो लोकतंत्र के मूल्यों को बढ़ावा देती है।
(7) गोपनीय संस्कृति से पारदर्शी संस्कृति के रूप में।

हालांकि सूचना के अधिकार के तहत कुछ प्रावधान ऐसे है जिन्होने ~~नकारात्मक~~ इसकी मूल भावना के विपरीत प्रभाव डाला है -
(1) Section-4; स्वैच्छिक प्रकटीकरण का अनिवार्य नही होना। सूचना आयोग के अनुसार 85 संगठनों ने किसी प्रकार की सूचना प्रकट नहीं की
(2) Section-8 - का दुरूपयोग → देश की संप्रभुता एकता-अखण्डता आदि आधारों की सीमा निर्धारण न होने से अधिकारियों द्वारा इसका दुरुपयोग।
(3) गोपनीयता अधिनियम की आड़ मे सूचना पर रोक
(4) प्रशासनिक तंत्र को सुविकसित नही करना
(5) आरटीआई को ब्लैकमेल अथवा पॉपुलेरिटी के लिए प्रयोग मे लाना।
(6) आरटीआई द्वारा निजता मे प्रवेश। (section-4 की भावना का उल्लंघन)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अतः आरटीआई अधिनियम के सुधारो की गति को तीव्र करना चाहिए। जैसे —

(1) गोपनीयता अधिनियम के प्रावधानो को कम कर जवाबदेही आधारित आरटीआई को मजबूत बनाना।

(2) Section-4 को अनिवार्य लागू करना

(3) Section-8 के आधार को सीमित व परिभाषित करना

(4) Section-11 के आधार पर निजता की रक्षा करना

(5) हालिया संशोधन, 2019 मे परिवर्तन कर सूचना आयुक्तो की स्वायत्तता को बढ़ाना।

एक पारदर्शी, निष्पक्ष, तटस्थ, जवाबदेह प्रशासन ही ईमानदार और सत्यनिष्ठ शासन हो सकता है। आरटीआई ने भारतीय परिप्रेक्ष्य मे इसे साबित तो किया है परन्तु इसका विस्तार और स्वायत्तता को अभी विकसित करने की और अधिक जरूरत है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

**20.** The issuance of Citizens' Charters alone cannot change the mindset of staff and clients overnight; rather, regular, untiring and persistent efforts are required to bring about attitudinal changes. Discuss. **(250 words) 15**
केवल सिटीजन चार्टर जारी करने से कर्मचारियों और ग्राहकों की मानसिकता में एकाएक परिवर्तित नहीं किया जा सकता; बल्कि व्यवहार में बदलाव लाने के लिए नियमित, अथक और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।

सिटिजन चार्टर : सरकार के मंत्रालय या संगठन द्वारा जनता को प्रदत्त लोकसेवाओं की सूची जो समयबद्ध व गुणवत्तात्मक रूप से निःशुल्क/सशुल्क हो, तथा नही प्रदान करने पर शिकायत तन्त्र की स्थापना सिटिजन चार्टर कहलाता है।

प्रभाव
- प्रशासनिक जवाबदेही विकसित होती है
- ग्राहको को उचित मूल्य और गुणवत्ता की सेवा प्राप्त होती है।
- विश्वसनीयता और प्रासंगिकता का विकास होता है।
- लोकतांत्रिक मूल्यो मे वृद्धि होती है।

हालांकि केन्द्रीय स्तर पर सिटीजन चार्टर विकसित नही हुआ है, अपितु कई राज्योने इसे अपने-अपने स्तरो पर बनाया है। 2nd ARC की रिपोर्ट ने इसे अधूरे मन से किए प्रयास बताया है।

कारण
- प्रशासनिक मनोवृत्ति का अभाव
- राजनैतिक इच्छाशक्ति का अभाव

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

③ सांस्कृतिक विरोधाभास
④ तकनीक तथा संरचनात्मक विकास का अभाव
⑤ विधिक तार्किकता का अभाव
⑥ नागरिकों की जागरूकता, क्षमता, इच्छाशक्ति और अवसर का अभाव।

अतः केवल सिटिजन चार्टर जारी करने से कर्मचारियों और ग्राहकों की मानसिकता परिवर्तित नहीं हो सकती है क्योंकि -

① पूर्णतः पालन नहीं हो पाता तथा प्रकाशन न होना
② भाषायी समस्या
③ मानकीकृत न होना
④ शिकायत तंत्र सक्षम न होना आदि।

इसके लिए व्यवहार में बदलाव लाना आवश्यक है जैसे -

① कार्य प्रेरण करना
- धनात्मक - धन प्रदान करना, पुरस्कार देना
- ऋणात्मक - दण्ड देना, डांटना
- अमौद्रिक - प्रशंसा करना, उदार अवकाश नीति

② कार्यों से उत्पन्न प्रभावों से अवगत कराकर समानुभूति (करुणा) उत्पन्न करना

③ उन्हें एक सकारात्मक कार्य संस्कृति से परिचित करवाना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

③ विधिक जवाबदेही के साथ - साथ आंतरिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना।

④ टीम वर्क, रचनात्मकता, ई गवर्नेंस जैसे उपकरणो का प्रवेश

⑤ निरंतर प्रशिक्षण तथा पर्यवेक्षण करना।

⑥ व्यक्तिगत अंतर की पहचान करना

⑦ रॉल मॉडल विकसित करना।

⑧ ग्राहको मे सिक्षण की परंपरा विकसित करना

⑨ चार्टर आदि को बहुभाषी तथा सरल शब्दो मे लिखना

⑩ लचीला तथा समानुभूति प्रशासन उपलब्ध करना

⑪ जागरूकता का प्रसार कर अवसर उपलब्ध करना।

बाह्य दबाव से उत्पन्न परिवर्तन अस्थायी होते है यदि यह आन्तरिक रूप से उत्पन्न हो तो न केवल स्थायी बल्कि क्रांतिकारी परिवर्तन भी स्थापित करते है, जिनको भारतीय शासन प्रणाली मे उचित मूल्यो के रूप मे आवश्यकता भी है